कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के अंतर्गत लीगल एड डिफेंस कौंसिल के लिए ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती हेतु कौशल(प्रायोगिक) परीक्षा के संबंध में परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश.

1– कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों को परीक्षा से **01 घंटा** पूर्व **प्रातः 9:00** बजे जिला न्यायालय जशपुर में, प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र संबंधी आवश्यक दस्तावेज यथा– **आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस एवं कार्यालयीन पहचान पत्र** सहित उपस्थित होना होगा

2– कौशल परीक्षा में उपस्थित परीक्षार्थी, उपस्थिति पत्रक में अपने हस्ताक्षर अंकित करेंगे ।

3– परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व कम्प्यूटर सेट की अच्छे से जाँच कर लेवें, परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में कम्प्यूटर सेट बदला नहीं जावेगा ।

4– परीक्षार्थियों को **250 शब्द** के **गद्यांश** को **10 मिनट** में शुद्धता से कम्प्यूटर पर उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाईप करना होगा। टंकित शब्द की प्रत्येक त्रुटि के लिए **1/2 अंक काटा** जावेगा, जो **हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग** तथा **टाईप की प्रत्येक अशुद्धि** के लिए भी होगा ।

5– उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में **पेपर साईज–लीगल पेपर,** पेज सेटिंग यथा– **लेफ्ट साईड मार्जिन**–3.0 से.मी., **राईट साईड मार्जिन**–2.0 से.मी., **टॉप मार्जिन**–5.0 से.मी. एवं **बॉटम मार्जिन**–2.0 से.मी., **लाईन स्पेसिंग–1.5** तथा Above & Below **पैराग्राफ सेटिंग**–0.20 से.मी. रखना है तथा रखना है ।

6– परीक्षार्थी उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में **Krutidev 10 Font** में **Font Size–16** में टाईप करेंगे ।

7– कैमरा, मोबाइल फोन व अन्य किसी प्रकार का ईलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा में लाना प्रतिबंधित है, किसी प्रकार का ईलेक्ट्रॉनिक डिवाईस परीक्षार्थी के पास पाये जाने पर परीक्षा से वंचित किया जावेगा ।

8– परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में वीक्षक के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, वीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन परीक्षार्थी द्वारा न करने पर, उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकेगा ।

–– 00 ––